

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश  
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक-294/ अका0प्र0/आउशि/09,

भोपाल, दिनांक-17-3-09

प्रति,

प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक,  
शासकीय महाविद्यालय,  
मध्यप्रदेश

विषय:-पुस्तक लेखन की अनुमति के सम्बन्ध में ।

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापकों द्वारा पुस्तक लेखन की अनुमति हेतु कार्यालय आयुक्त में आवेदन प्रस्तुत करते समय निम्न पूर्तियाँ करके आवेदन करें ताकि अनुमति प्रदान करने में अनावश्यक विलम्ब न हो -

1. आवेदन प्राचार्य द्वारा अग्रेषित हो ।
2. प्रकाशक से अनुबन्ध पत्र की प्रति ।
3. आवेदन में पुस्तक की कीमत एवं रॉयल्टी से आय का उल्लेख हो ।
4. रॉयल्टी से आय पर नियमानुसार आयकर देने का शपथ-पत्र ।

*Ashish*

(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त,

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक-17.3.09

पृ0क्रमांक-295/ अका0प्र0/आउशि/09,

प्रतिलिपि:-

1. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
2. समस्त प्राचार्य, अग्रणी महाविद्यालय, अपने क्षेत्राधिकार के महाविद्यालयों को अवगत कराने हेतु ।

*Ashish*

आयुक्त,

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश